<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>1. रेफरेंस/एलआर/1910/2001/जोधपुर</u>

सरकार जरिये तहसीलदार, फलोदी

प्रार्थी

बनाम

जावताराम पुत्र हरजीराम जाति बिश्नोई निवासी कानासर तहसील फलोदी

अप्रार्थी

<u>2. रेफरेंस/एलआर/1911/2001/जोधपुर</u>

सरकार जरिये तहसीलदार, फलोदी

प्रार्थी

बनाम

शंकरराम पुत्र किशनाराम जाति बिश्नोई निवासी माण्डली तहसील फलोदी

अप्रार्थी

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री वी.पी.सिंह राजकीय अभिभाषक
श्री प्रदीप बिश्नोई वकील अप्रार्थीयान

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः.19.2.19</u>

ये रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा की गई अनुसंशा दिनांक 27.8.94 से प्रेषित किये गये हैं।

उक्त दोनों रेफरेन्स प्रकरणों में विवाद की विषयवस्तु, विवादित आराजी व कानूनी बिन्दु समान होने से दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की प्रार्थना स्वीकार कर एक साथ बहस सुनी जाकर

एक ही निर्णय से निर्णीत की जा रही हैं। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, फलोदी ने अलग अलग दो रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डली की आराजी खसरा नम्बर 53 राजस्व रेकर्ड में सिवायचक गैर मु0 ओरण दर्ज रही हैं। उक्त आराजीयात में खसरा नम्बर 53 में से 50 बीघा जावताराम पुत्र हरजीराम को तथा खसरा नम्बर 53 में से ही 65 बीघा शंकरराम पुत्र किशनाराम को दिनांक 22.5.70 को आवंटन होना बताकर गैर खातेदारी एवं खातेदारी के नामान्तरकरण संख्या 19, 66, 18, 60 दोनों अप्रार्थीयान के नाम स्वीकृत किये गये। जबकि दिनांक 22.5.70 को कोई आवंटन ही नहीं किया गया। आवंटन के 12 वर्ष बाद रेकर्ड में अमल किया गया। फर्जी कार्यवाही की गई है। अतः आवंटन व नामान्तरकरण निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अनुशंषा दिनांक 27.8.94 से उक्त दोनों रेफरेन्स इस न्यायालय को प्रेषित किये हैं।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात की किस्म गैर मु0 आगौर है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 2.8.04 में ऐसी जल स्त्रौत की भूमियों की दिनांक 15.8.1947 की स्थिति कायम करने का आदेश दिया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार भी गैर मु0 आगौर भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। दिनांक 22.5.70 को विवादित आराजीयात का कोई आवंटन ही नहीं किया गया है। फर्जी तरीके से आवंटन के आधार पर 12 वर्ष बाद रेकर्ड में अमल दरामद कराया गया है। अतः दोनों रेफरेन्स स्वीकार कर दोनों अप्रार्थीयान को किये गये आवंटन व उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरणो को निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीयान ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि गैर मु0 आगौर की भूमि नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति ने विधिवत आवंटन किया है। आवंटन के समय से ही अप्रार्थीयान का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटन के इतने वर्षो बाद रेफरेन्स के माध्यम से आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता। फर्जी कार्यवाही का कोई विवरण नहीं दिया गया है। अप्रार्थीयान ने आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की हैं। अतः रेफरेन्स खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार, फलोदी ने दोनों ही मामलों में दिनांक 22.5.70 को विवादित आराजी का अप्रार्थीयान को आवंटन नहीं किया जाना व आवंटन का कोई अभिलेख नहीं होना कहते हुए आवंटन को निरस्त करने का निवेदन किया है।

रेफरेन्स संख्या 1911/2001 सरकार बनाम शंकर राम में अपर जिला कलक्टर, जोधपुर की पत्रावली में सलंग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जमाबन्दी सम्वत 2036 से 2039 में आराजी 53 ग्राम पंचायत के अधीन भूमि अंकित होकर किस्म गैर मु0 आगोर अंकित है। नामान्तरकरण संख्या 18 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 53 की किसम गैर मु. अंगोर से बारानी चतुर्थ में बदली गई है तथा नामान्तरकरण संख्या 19 के अनुसार धनाराम, जावतराम व शंकराम तथा एक अन्य खेताराम को उक्त खसरा नम्बरों में किये गये आवंटन के आधार पर गैर खातेदारी का स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 60 से शंकरराम को, 66 से जावताराम को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं।

वर्तमान दोनों ही प्रकरणों में तहसीलदार, फलोदी प्रार्थी का यह कथन रहा है कि दिनांक 22.5.70 को दोनों ही अप्रार्थीयान को विवादित भूमि का आवंटन नहीं किया गया एवं फर्जी तरीके से नामान्तरकरण स्वीकृत कराये गये हैं। जबकि अप्रार्थीयान का कथन है कि उन्हें आवंटन विधिवत किया गया है। परन्तु अप्रार्थीयान की ओर से आवंटन आदेश अथवा आवंटन प्रोसीडिंग रजिस्टर आदि की कोई प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं। यह भी स्पष्ट है कि आवंटन के 12 वर्ष बाद आवंटन के आधार पर गैर खातेदारी एवं खातेदारी के नामान्तरकरण स्वीकार करना भी सारी कार्यवाही को संदेहास्पद बनाता है तथा जांच कर विचार के अधीन लाता है किन्तु इस सबसे पूर्व गैर मु0 आगोर की स्थिति पर विचार किया जाना है। जो प्रकरण के अन्यथा उपयुक्त होने पर भी रेफरेंस को सारवान रूप से प्रभावित कर सकता है तथा ऐसी स्थिति में शेष तथ्यों पर विचार की आवश्यकता नहीं रहती है। आगोर की स्थिति पर विचार उपरांत शेष तथ्यों पर विचार अपेक्षित होने पर किया जावेगा, अन्यथा आगोर की स्थिति पर विचार करने पर रेफरेंस स्वीकार योग्य पाया जाने पर शेष तथ्यों पर विचार की आवश्यकता नहीं रहेगी।

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी की किस्म गैर मु0 आगोर रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार गैर मु0 आगोर भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय

ने भी डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 में ऐसी गैर मु0 भूमियों की दिनांक 15.7.1947 की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में हम उक्त दोनों रेफरेन्स स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं तथा प्रकरण के शेष तथ्यों पर विचार की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त दोनों रेफरेन्स स्वीकार किये जाते हैं तथा दोनों अप्रार्थीयान को ग्राम माण्डली की आराजी खसरा नम्बर 53 में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 22.5.70 तथा आवंटन के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 19, 60, 18, 66 इनके आधार पर राजस्व अभिलेख में किये गये समस्त अंकन निरस्त किये गये हैं तथा आदेश दिया जाता है कि उक्त आराजीयात राजस्व अभिलेख में पूर्वानुसार राजकीय गैर मु0 आगोर भूमि दर्ज की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य